

राज्य स्तरीय
नवीन(New) विनिर्माता/आयातक/पुलहैंडलिंग एजेंसी/थोक उर्वरक विक्रेता (Sale) हेतु
प्राधिकार पत्र।
(जाँच-पत्र फॉर्म-A1)

1. आवेदक का फोटो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का (क) प्राधिकार पत्र फोटो युक्त।
3. पंजीयन शुल्क : रू० 2250/-का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. (क) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
(ख) प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता कंपनी के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
(ग) स्व-विनिर्माता (Self Manufacturer) प्रतिष्ठान/कंपनी को फार्म-ओ(प्रपत्र "ओ") की अनिवार्यता नहीं होगी।
5. शपथ पत्र (नोटराइज्ड) जिसमें उल्लेखित हैं कि :
(क) विगत तीन वर्ष में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हूँ।
(ख) पूर्व में पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हुआ है।
(ग) नवीन आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ है।
6. (क) रसायनिक उर्वरक निर्माता कंपनियों के लिए विनिर्माण पंजीकरण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
(ख) जैव एवं कार्बनिक उर्वरक निर्माता कंपनी को जिला उद्योग कार्यालय से निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत उद्यम प्रमाण पत्र (PDM एवं PROM को छोड़कर)
8. यदि विनिर्माता कंपनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एंशोसिएशन/ई0-मेमोरेण्डम ऑफ एंशोसिएशन अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा यदि स्वयं का फर्म है तो नोटराइज्ड शपथ पत्र।
9. यदि विनिर्माता है तो विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विनिर्माण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
10. विनिर्माता/पूल-हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत Responsible Person का नियुक्ति पत्र। (नमूना फॉर्मेट संलग्न) Responsible Person का कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन विज्ञान में स्नातक प्रमाण पत्र अथवा किसी सरकारी संस्थान यथा कृषि विज्ञान केन्द्र/MANAGE/NIDRR/ Fertilizer Association of India/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि महाविद्यालय/सरकारी मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान द्वारा निर्गत 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
11. बिहार राज्य में निर्गत जी0 एस0 टी0 प्रमाण पत्र, जिसमें गोदाम का पूर्ण पता प्रविष्ट हों। यदि निर्गत नहीं होने के स्थिति में उर्वरक प्राधिकार पत्र निर्गत होने के तीन महीने के अंदर संबंधित कोषांग को जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करें।
12. अपने प्रतिष्ठान में माप-तौल कार्यालय से स्वयं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले माप-तौल उपकरणों का बिहार सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन सत्यापित प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति।
13. कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।(1000रू0 के बिहार सरकार का ई-स्टाम्प पेपर पर)/स्वयं की भूमि है तो 1000 रू0 के बिहार सरकार का ई-स्टाम्प पेपर पर निर्गत प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।
14. यदि आयातक है तो : (क) आयातक प्रमाण पत्र (Importer Exporter Code) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
(ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश (Supply Order) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। (ग) आयातित उर्वरक

- का आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत Source of Origin/Certificate of Origin की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। (घ) लदान का बिल(Bill of Lading) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
15. Sample QR Code is enclosed ((i) Gazette Notification Number and Date, (ii) Title of Biostimulant, (iii) Computation of Biostimulant)
(iv) Crops, (v) Dosage
16. बिहार सरकार/भारत सरकार अथवा अन्य राज्य द्वारा अधिसूचित/सरकारी संस्थान/प्रयोगशाला का फार्म-J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। (आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (नये विपणनकर्ता/विनिर्माणकर्ता कंपनी को आवेदन करते समय Bio-stimulant उत्पाद के गुणवत्ता जाँच हेतु प्रपत्र जे0 एवं फार्म एल0 के संबंध में शपथ पत्र देना होगा एवं विपणन/विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत होने के तीन माह के अंदर बिहार सरकार/भारत सरकार अथवा अन्य राज्य द्वारा अधिसूचित/सरकारी संस्थान/प्रयोगशाला द्वारा फार्म जे0 एवं फार्म एल0 में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। (तीन माह के अंदर फार्म एल0 में रिपोर्ट जमा करने हेतु बिहार सरकार के E-Stamp पर 100 रुपये स्वघोषणा पत्र अभिप्रमाणित करा कर विभाग को जमा करना अनिवार्य होगा)।
17. आवेदक का पुलिस अधीक्षक(एस0 पी0) के स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (किसी भी राज्य से)
18. भारत सरकार का राजपत्र(असधारण) की छायाप्रति।
19. सभी कागजातों/दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।